टीपः– प्रतिवादी साक्षी क्रं. 02 राजू तिवारी पिता स्व. श्री द्वारिका प्रसाद तिवारी, उम्र 52 वर्ष साकिन ग्राम सागरपारा, तहसील व जिला कोरबा (छ०ग०) को आज दिनांक 05.01.2026 को शपथ दिलायी जाकर परीक्षण प्रारंभ किया गया ।

मेरे द्वारा अपने शपथ पत्रीय कथन आदेश 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. दिनांक 14.07.2025 को पेश किया जिसमें 01 से 06 कंडिकाएं हैं ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री टी.आर. कर्ष वास्ते वादी</u>

07– मैं आठवीं उत्तीर्ण हूं । यह कहना सही है कि मैं रामसागर पारा जिला कोरबा का निवासी हूं । यह कहना सही है कि प्रतिवादी दुखन मेरे पड़ोस में रहते हैं एवं दुखन के साथ मेरा पारिवारिक रिश्तेदारी है । यह कहना सही है कि दुखन के साथ मेरा भूमि के संबंध में कोई रिश्तेदारी नहीं है ।

08– यह कहना सही है कि न्यायालय से साक्ष्य हेतु मुझे किसी प्रकार का नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है । यह कहना सही है कि पड़ोसी होने के नाते दुखन से मधुर संबंध हैं । यह कहना सही है कि जांजगीर में मेरा कोई भूमि अथवा मकान स्थित नहीं है ।

09– यह कहना सही है कि मैं वादी रामकुमार दुबे को नहीं जानता हूं । यह कहना सही है कि वादी रामकुमार के पास जांजगीर के किसी भी मोहल्ले में कितनी भूमि अथवा मकान है इसकी जानकारी मुझे नहीं है । यह कहना सही है कि मैं प्रतिवादीगण जांजगीर के भूमि के संबंध राजस्व अभिलेख नहीं देखा हूं । स्वतः कहा कि मैं प्रतिवादीगण का ऋण पुस्तिका देखा हूं ।

10– यह कहना सही है कि मैं 06–07 पेशी से जांजगीर आ रहा हूं तभी प्रतिवादीगण का ऋण पुस्तिका देखा हूं । मैं प्रतिवादीगण का ऋण पुस्तिका मैं जांजगीर में आने पर न्यायालय में देखा हूं । यह कहना सही है कि जांजगीर के पूर्व में प्रतिवादीगण का ऋण पुस्तिका कभी नहीं देखा हूं । प्रतिवादीगण के नाम पर 02 डिस्मील भूमि है ।

11– यह कहना सही है कि मैं प्रतिवादीगण को जमीन कहां से प्राप्त हुई है मैं नहीं जानता । साक्षी स्वतः कहता है कि प्रतिवादीगण को जमीन माता–पिता से प्राप्त हुई है । यह कहना सही है कि मैं प्रतिवादीगण के माता–पिता को जानता हूं । वर्तमान में प्रतिवादीगण के माता–पिता की मृत्यु हो चुकी है । मैं प्रतिवादीगण के माता–पिता को कोरबा में ही देखा हूं ।

12– यह कहना सही है कि मैं जांजगीर में नही रहता इसलिए मैं यह नहीं बता सकता कि जांजगीर में किस व्यक्ति का किस मोहल्ले में मकान अथवा दुकान है नहीं बता सकता

हूं । मैं प्रतिवादीगण को बचपन से जानता हूं क्योंकि वे लोग मेरे ही मोहल्ले में प्रारंभ से निवास करते आ रहे हैं । यह कहना सही है कि मैं वादी रामकुमार दुबे का मकान जांजगीर में किस मोहल्ले में स्थित है नहीं बता सकता हूं ।

13– यह कहना सही है कि प्रतिवादीगण का जांजगीर के किस वार्ड में है मैं नही बता सकता हूं । साक्षी स्वतः कहता है कि प्रतिवादीगण का मकान भीमा तालाब के पास स्थित है । यह कहना सही है कि मैं जब जांजगीर पेशी में आया तभी मुझे प्रतिवादीगण के मकान होने की जानकारी मिली । साक्षी स्वतः कहा कि मुझे पहले से जानकारी है ।

14– यह कहना सही है कि 50 साल पूर्व मकान किसकी थी मैं नहीं बता सकता हूं । यह कहना सही है कि मुझे आस–पास के लोगों के मकान के बारे में प्रतिवादी दुखन ने बताया। मैं आज नहीं बता सकता कि आस–पास के लोगों के मकान के बारे में मुझे कब जानकारी हुई । यह कहना सही है कि जब मैं भीमा तालाब के पास मकान पर गया तो मकान बंद था वहां कोई उपस्थित नहीं थे । यह कहना सही है कि जो व्यक्ति मकान निर्माण करते हुए देखता है वहीं बता सकता है कि मकान को कब और किसने बनवाया।

15– यह कहना सही है कि मकान कब और किसने बनवाया मैं नहीं जानता हूं। यह कहना सही है कि मकान बंद होने पर यह पता नहीं चलता कि अंदर में कितने कमरे हैं । यह कहना सही है कि प्रतिवादीगण जमीन संबंधी विवाद है करके बुलाए तब मैं जांजगीर आया । यह कहना सही है कि प्रतिवादीगण मुझे यह नहीं बताए कि जांजगीर के किस व्यक्ति के साथ जमीन विवाद है । यह कहना सही है कि प्रतिवादीगण के जांजगीर के किस रामकुमार दुबे नामक व्यक्ति के साथ जमीन संबंधी विवाद है उसे मैं नहीं जानता हूं।

16– यह कहना सही है कि बाहर से किसी भी मकान को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि मकान किस व्यक्ति का है । यह कहना सही है कि मुझे जमीन संबंधी किसी प्रकार की जानकारी नहीं है । यह कहना गलत है कि मैं अपने पड़ोसी के कहने पर झूठी गवाही देने आया हूं ।

वाचित सत्य स्वीकृत
सही/–
(अंजू कंवर)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी
जिला जांजगीर चांपा छ०ग०

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया ।
सही/–
(अंजू कंवर)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी
जिला जांजगीर चांपा छ०ग०

साक्षी का हस्ताक्षर .....